पढ़ रहे हैं, छात्रावास का खर्च पूरा करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना।

(3) किताबों तथा लेखन सामग्री के पूरे खर्च की पूर्ति करना।

(4) जहां वर्दी अनिवार्य हो, वहां वर्दी की पूरी लागत से छूट देना।

(छ) मकानों के निर्माण/मरम्मत के लिए अनुदान :

राज्य सरकारों द्वारा लड़ाई में मारे गए कार्मिकों की पत्नियों को मकान के निर्माण/मरम्मत के लिए भुगतान किए जाने वाले ग्रांट के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 5000 रुपये है।

(ज) लड़ाई में मारे गए कार्मिकों की पत्नियों को उनकी पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान :

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड लड़ाई में मारे गए कार्मिकों की पत्नियों को उनकी पुत्रियों की शादी के लिए 1000 रुपये अनुदान के रूप में देता है।

(झ) रेल यात्रा रियायत :

लड़ाई में मारे गए कार्मिकों की पत्नियों को रेल से यात्रा करने के लिए द्वितीय श्रेणी के किराए में 75% तक की रियायत दी जाती है।

(ञ) पुनर्वास :

प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित कोटे के भीतर पेट्रोलियम पदार्थों, साग-सब्जियों तथा दूध की बिक्री के लिए एजेंसियां देना।

NCC training in Madhya Pradesh

4023. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1801 given in the Rajya Sabha on the 27th July, 1992 and state:

(a) the number of students who were given NCC training during the last three years in Madhya Pradesh;

(b) whether Government propose to cover all the educational institutions in Madhya Pradesh under NCC programme in the near future; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) The number of students who were given NCC training in Madhya Pradesh during the last three years is given below:

1989-90	—	72013
1990-91	—	72355
1991-92	—	72581

(b) No, Sir.

(c) In view of the large financial implications, it is not possible to extend NCC cover to all the educational institutions in Madhya Pradesh.

Purchase of Battle Tanks

4024. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are negotiating the purchase of battle tanks with USA, Germany and France; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.